झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 10/2022

रघुबर सिंह उर्फ रघुबर सिंह

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. आराध्या समृद्धि
3. आदित्यदेव सिंह ... विरोधी दल

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद

याचिकाकर्ता के लिएः श्री संतोष कुमार सोनी, अधिवक्ता
राज्य के अधिवक्ताः श्रीमती प्रिया श्रेष्ठ, विशेष लोक अभियोजक
विरोधीदल संख्या 2 और 3 के लिए : श्री सूरज सिंह, अधिवक्ता
श्री अक्षय कुमार, अधिवक्ता

निर्णय

11.12.2023 पर सी.ए.वी. **11.01.2024** पर उच्चारित

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के लिए विशेष लोक अभियोजक और ओ. पी. संख्या 2 और 3 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2 वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण 25 नवंबर, 2021 को पारित आदेश/निर्णय के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है, जो कि मूल भरण-पोषण मामले संख्या 154/2018 में हजारीबाग के परिवार न्यायालय के माननीय प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को मामले की फाइलिंग की तारीख से विपक्षी पार्टी संख्या 2 और 3 को प्रति माह ₹5,000/- भरण-पोषण के रूप में भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

3. यह आपराधिक पुनरीक्षण के पीछे के संक्षिप्त तथ्य हैं कि भरण-पोषण का आवेदन याचिकाकर्ता निभा सिंह और उनके दो नाबालिग बच्चों, अर्थात् आराध्या समृद्धिऔर आदित्यदेव सिंह की ओर से धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दायर किया गया था। इसमें यह कहा गया कि याचिकाकर्ता - निभा सिंह का विवाह विपक्षी दल - रघुबर सिंह से 2 दिसंबर, 2010 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। उनके विवाह से दो बच्चे हुए, जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। याचिकाकर्ता को विपक्षी दल (पति) द्वारा 5 लाख रुपये की अतिरिक्त दहेज मांग पूरी न करने के लिए प्रताड़ित किया गया। पंचायत और सुलह की प्रक्रिया कई बार आयोजित की गई। 9 सितंबर, 2018 को एक पंचायत के बाद, वह दोनों बच्चों के साथ अपने ससुराल गईं, लेकिन 5 लाख रुपये की बार-बार मांग और इसके न पूरे होने के कारण उन्हें सदर (महिला) थाना केस संख्या 12/2018 दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो धारा 498-ए आइपीसी और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं 3 और 4 के तहत पंजीकृत हुआ। विपक्षी दल (पति) ने याचिकाकर्ता और उसके दो नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण करने में अनदेखी की है, जबकि उसके पास पर्याप्त साधन हैं क्योंकि वह प्रति माह 45,000 रुपये वेतन प्राप्त कर रहा है और उसके पास पुश्तैनी कृषि भूमि से 10 लाख रुपये की आय भी है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, उसने अपने लिए और अपने दो नाबालिग बच्चों के लिए भरण-पोषण राशि की प्रार्थना की है।

4. विपक्षी दल (पति) की ओर से, कारण बताओ नोटिस का जवाब दायर किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता – निभा सिंह अपने आप को बनाए रखने में सक्षम है। वह 2017 से, भरण-पोषण आवेदन दायर करने से बहुत पहले, हजारीबाग के ग्रामीण आत्म-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान में काम कर रही हैं, जो कि भारतीय सरकार और राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग से अलाहाबाद बैंक द्वारा संचालित है। वह कार्यालय सहायक हैं और 20 फरवरी, 2017 को शामिल हुईं। उन्हें प्रति माह 13,200 रुपये वेतन मिल रहा है और उनका वर्तमान वेतन उनके ज्ञान में नहीं है। इस प्रकार, वह न केवल अपने लिए बल्कि दोनों बच्चों के लिए भी भरण-पोषण करने में सक्षम हैं। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, उन्होंने भरण-पोषण आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की।

5. विद्वत विचारण न्यायालय ने निर्धारण के लिए निम्नलिखित बिंदु तैयार किए:

i. क्या याचिकाकर्ता-1 विपक्षी दल की कानूनी पत्नी हैं और शेष दो नाबालिग याचिकाकर्ता क्रमशः उक्त विवाह से उत्पन्न पुत्री और पुत्र हैं?
ii. क्या याचिकाकर्ता अपने आप को बनाए रखने में असमर्थ हैं?
iii. क्या विपक्षी दल के पास पर्याप्त साधन हैं और उनकी आय क्या है?
iv. क्या विपक्षी दल ने याचिकाकर्ताओं का भरण-पोषण करने में स्वेच्छा से अनदेखी की है?
v. क्या याचिकाकर्ता-1 के पास अलग रहने का पर्याप्त कारण है?
vi. क्या याचिकाकर्ता विपक्षी दल से भरण-पोषण के हकदार हैं, और यदि हां, तो राशि कितनी होगी?

6. याचिकाकर्ता की ओर से मौखिक साक्ष्य में तीन गवाहों का परीक्षण किया गया, पी. डब्ल्यू 1 ओम प्रकाश झा, पी. डब्ल्यू 2 निभा सिंह और पी. डब्ल्यू 3 रामजीत सिंह।

7. मौखिक साक्ष्य में विरोधी पक्ष की ओर से ओ. पी. डब्ल्यू. 1. रघुबंश नारायण सिंह और ओ. पी. डब्ल्यू. 2. रघुबर सिंह की जांच की गई।

8. दोनों पक्षों की ओर से कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया गया था।

9. विद्वत परिवार न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित किया, जिसके द्वारा भरण-पोषण आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। इसमें पत्नी के लिए भरण-पोषण की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि दो नाबालिग बच्चों के लिए भरण-पोषण की प्रार्थना को स्वीकार किया गया। विपक्षी दल (पति) को आदेश दिया गया कि वह भरण-पोषण आवेदन दायर करने की तिथि से दोनों नाबालिग बच्चों को प्रति माह 5000 रुपये का भुगतान करें।

10. विवादित निर्णय से प्रभावित होकर, यह आपराधिक पुनरीक्षण पति की ओर से इस आधार पर दायर किया गया है कि परिवार न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश कानून की दृष्टि में गलत है और यह परिवार न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए गलत निष्कर्षों पर आधारित है। परिवार न्यायालय ने याचिकाकर्ता-पति की आय के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया और यह निष्कर्ष इस अनुमान पर आधारित है कि याचिकाकर्ता के पास दोनों बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन हैं। परिवार न्यायालय ने यह ध्यान में नहीं लिया कि पत्नी भी एक कार्यरत महिला हैं और उनके पास दोनों बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त आय है। याचिकाकर्ता के पास कोई आय का स्रोत नहीं है और वह कोविड -19 महामारी के बाद से बेरोजगार है। उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, उन्होंने इस आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने और विवादित निर्णय को रद्द करने की प्रार्थना की।

11. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है|

12. इस आपराधिक पुनरीक्षण के निपटारे के लिए यह निर्धारण बिंदु तैयार किया जा रहा है:
i. क्या दोनों नाबालिग बच्चों के लिए परिवार न्यायालय द्वारा निर्धारित भरण-पोषण राशि की मात्रा पिता की आय के दृष्टिकोण से अत्यधिक और असमान है**?**

13. पत्नी की ओर से, अपने और दोनों नाबालिग बच्चों के लिए भरण-पोषण की मांग करते हुए, भरण-पोषण आवेदन में यह कहा गया है कि उसके पति को प्रति माह 45,000 रुपये वेतन मिल रहा है और उसके पास पुश्तैनी कृषि भूमि से 10 लाख रुपये की आय है।

14. इसके विपरीत, पति और दोनों नाबालिग बच्चों के पिता की ओर से यह कहा गया है कि वह बेरोजगार हैं और कोविड-19 महामारी के बाद बिना किसी आय के दयनीय जीवन जी रहे हैं, और पत्नी या दोनों बच्चों के लिए कोई भरण-पोषण राशि देने की स्थिति में नहीं हैं।

15. पी.डब्लू 1 ओम प्रकाश झा स्वतंत्र गवाह हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल, अर्थात् रघुबर, एक एनजीओ में काम कर रहे हैं और उन्हें प्रति माह 45,000 रुपये मिल रहे हैं और कृषि भूमि से 10 से 12 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय है। क्रॉस-एक्जामिनेशन में, इस गवाह ने कहा कि विपक्षी दल के पास छपरा में 5 से 6 एकड़ कृषि भूमि है, जिसका प्लॉट संख्याउसे ज्ञात नहीं है। निभा सिंह (पत्नी) भी अलाहाबाद बैंक की एक इकाई में सेवा कर रही हैं और उन्हें प्रति माह 12 से 15 हजार रुपये मिल रहे हैं।

16. पी.डब्लू.2 निभा सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि वह अनुबंध के आधार पर काम करती हैं और उन्हें प्रति माह 12,000 रुपये मिल रहे हैं। उनके पास एक बेटा और एक बेटी है, और दोनों उनके साथ रह रहे हैं। उनके पति एनजीओ में काम कर रहे हैं और उन्हें प्रति माह 40 से 45 हजार रुपये मिल रहे हैं, और छपरा में लगभग 8 से 9 एकड़ कृषि भूमि है। क्रॉस-एक्जामिनेशन में, इस गवाह ने कहा कि वह भूमि के प्लॉट संख्याके बारे में अवगत नहीं हैं। उन्होंने 20 फरवरी, 2017 को सेवा में शामिल हुईं। उनके पति ससुराल में अपने माता-पिता के साथ रहते हैं।

17. पी.डब्लू -3 रामजीत सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि उसकी बेटी की शादी 2 दिसंबर, 2010 को रघुबर से हुई थी। दोनों ने पांच साल तक "अच्छा" जीवन बिताया, उसके बाद विवाद उत्पन्न हुआ। एक पंचायत भी आयोजित की गई और 2018 में उसकी बेटी को वैवाहिक घर से बाहर निकाल दिया गया। तब से वह अपने दोनों बच्चों के साथ उसके साथ रह रही है। वह आगे कहता है कि उसकी बेटी प्रति माह 10 से 12 हजार रुपये प्राप्त कर रही है, जबकि उसका दामाद प्रति माह 45,000 रुपये कमा रहा है और कृषि भूमि से 10 लाख रुपये की वार्षिक आय है। क्रॉस-एक्जामिनेशन में, इस गवाह ने कहा कि उसकी नातिनी का 2018 में कार्मेल स्कूल में प्रवेश हुआ था, लेकिन नाति का किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं हुआ है। उसे यह नहीं पता कि उसका दामाद किस एनजीओ में काम कर रहा है। यह कहना गलत है कि उसका दामाद बेरोजगार है, इसलिए उसकी बेटी उससे नफरत करती है।

18. विपक्षी दल की ओर से भरण-पोषण मामले में ओ.पी.डब्लू.1 रघुबंश नारायण सिंह का परीक्षण किया गया। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि वह रघुबर के पिता हैं, जिसकी शादी 2010 में निभा सिंह से हुई थी। पिछले दो वर्षों से उनकी बहू अपने पैतृक घर में रह रही है और वैवाहिक घर में वापस नहीं आई है। दोनों बच्चे उसके साथ रह रहे हैं। उनकी बहू प्रति माह 14,000 रुपये कमा रही है। वह अलाहाबाद बैंक में दो साल से अधिक समय से कार्यरत हैं। क्रॉस-एक्जामिनेशन में, इस गवाह ने कहा कि उनका बेटा रघुबर एचडीएफसी बैंक में लोन मैनेजर था, इसके बाद वह एनजीओ में काम कर रहा है। वह आगे कहते हैं कि उनके दोनों बेटे नौकरी करते हैं और उन्हें उनसे कोई सहायता नहीं मिल रही है।

19. ओ.पी.डब्लू. 2 रघुबर सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा कि निभा सिंह अलाहाबाद में

कार्यालय सहायक हैं और उन्हें प्रति माह 14,000 रुपये मिल रहे हैं। वह एक ट्यूटर हैं और केवल 7,000 रुपये प्रति माह कमा रहे हैं। उनके पास कोई अन्य आय का स्रोत नहीं है। उन्होंने पैन कार्ड या आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। उनके खाते से जो टीडीएस काटा गया है, उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। पहले वह एचडीएफसी बैंक में लोन मैनेजर थे। वह आगे कहते हैं कि वह कभी भी अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को अपने साथ नहीं रखेंगे।

20. दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से यह साबित होता है कि विपक्षी दल – रघुबर सिंह, जो पहले एक बैंक में लोन मैनेजर थे और उसके बाद एनजीओ में सेवा कर रहे हैं। यह तथ्य न केवल याचिकाकर्ता- पत्नी की ओर से गवाह द्वारा साबित हुआ है, बल्कि ओ.पी.डब्लू. संख्या1 रघुबंश नारायण सिंह ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पहले उनका बेटा एचडीएफसी बैंक में लोन मैनेजर था और उसके बाद वह एनजीओ में नौकरी कर रहा है, जबकि रघुबर सिंह ओ.पी.डब्लू. संख्या2 ने अपने साक्ष्य में विपरीत बयान दिया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वह एचडीएफसी बैंक में लोन मैनेजर की सेवा के बाद एनजीओ में काम कर रहे थे। वह कहते हैं कि वह ट्यूटर हैं और उन्हें केवल 7,000 रुपये मिल रहे हैं और उनके पास कोई अन्य आय नहीं है, लेकिन ओ.पी.डब्लू. संख्या2 का यह बयान उनके पिता ओ.पी.डब्लू. संख्या1 के बयान द्वारा गलत साबित होता है, जो कहते हैं कि उनका बेटा एनजीओ में काम कर रहा है और पहले वह एचडीएफसी बैंक में लोन मैनेजर था। इस प्रकार यह तथ्य साबित होता है कि रघुबर सिंह (पति) एनजीओ में काम कर रहे हैं। जहां तक उनकी आय का सवाल है, यह निभा सिंह के पति और नाबालिग बच्चों के पिता द्वारा प्रकट नहीं किया गया है, जबकि प्रमाण का बोझ उनके ऊपर है, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार है, क्योंकि यह विशेष तथ्य रघुबर सिंह (पति) के ज्ञान में है। इसलिए, उनके द्वारा अपनी आय के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर उनके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाएगा, जैसा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के उदाहरण 'g' के अनुसार है।

21. रिकॉर्ड पर मौखिक साक्ष्य से यह भी साबित होता है कि पुश्तैनी कृषि भूमि बिहार में भी है। यह तथ्य रघुबर सिंह, ओ.पी.डब्लू. 1 और उनके पिता ओ.पी.डब्लू. 2 रघुबंश नारायण सिंह द्वारा स्वीकार किया गया है, और दोनों ने कहीं भी यह नहीं कहा कि कृषि भूमि से वार्षिक आय 10 लाख रुपये नहीं है।

22. ओ.पी.डब्लू. संख्या 1 रघुबंश नारायण सिंह ने अपने बयान में बहुत स्पष्टता से कहा कि वह अपने दो बेटों पर निर्भर नहीं हैं। उनके दोनों बेटे नौकरी कर रहे हैं और उन्हें उनसे कोई सहायता नहीं मिल रही है। उनके साक्ष्य के अनुसार, यह भी साबित होता है कि रघुबर सिंह (भरण-पोषण आवेदन में विपक्षी दल) के पास अपने दो बच्चों के अलावा उनकी देखभाल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।

23. जहाँ तक याचिकाकर्ता- पत्नी की आय का संबंध है, यह स्वीकार किया गया है कि वह प्रति माह 12 से 14 हजार रुपये कमा रही हैं और वह अपने और दोनों नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण कर रही हैं। यदि पत्नी निभा सिंह की वेतन को ध्यान में रखा भी जाए, तो दोनों बच्चों के पिता की जिम्मेदारी भी है कि वह दोनों बच्चों का भरण-पोषण करें।

24. हालांकि विद्वत विचारण न्यायालय ने भरण-पोषण आवेदन में विपक्षी दल की आय के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया है, फिर भी उसने दोनों नाबालिग बच्चों के भरण-पोषण के लिए साधनों के संबंध में 8 से 10 एकड़ पुश्तैनी भूमि को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष दिया है, जिसमें भरण-पोषण आवेदन की विपक्षी दल का भी निहित अधिकार है और एनजीओ में काम करने के दृष्टिकोण से। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा विपक्षी दल - पति को दोनों नाबालिग बच्चों के लिए प्रति माह 5,000 रुपये भरण-पोषण राशि का भुगतान करने का निर्देश देते हुए दिया गया निष्कर्ष यह पाया गया कि यह भरण-पोषण राशि विपक्षी दल की

आय के दृष्टिकोण से असमान नहीं है, जो कि आयकरदाता भी हैं।

25. ऊपर दिए गए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए इस निर्धारण बिंदु का निर्णय प्रतिवादी के पक्ष में और याचिकाकर्ता के खिलाफ किया जाता है।

26. तदनुसार, इस आपराधिक संशोधन को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और नीचे दी गई अदालत द्वारा पारित विवादित आदेश की पुष्टि की जाती है।

27. 4 जुलाई, 2023 की अंतरिम आदेश रद्द की जाती है।

28. इस आदेश की एक प्रति 'फैक्स' के माध्यम से संबंधित अदालत को प्रेषित की जाए।

(सुभाष चंद, न्यायधीश)

रोहित/ए.एफ.आर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|